भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5996

1 अप्रैल, 2026 के लिए प्रश्न

फोर्टिफाइड चावल

5996. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्रीमती संजना जाटवः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री सुनील कुमारः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
डॉ. के. सुधाकरः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेषकर राजस्थान के भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के पालघर जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद से विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है;

(ख) देश में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) का उत्पादन करने वाली चावल मिलों की संख्या कितनी है और उनकी संस्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फोर्टिफाइड चावल के कितने नमूनों की जांच की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अनुपालन में अनियमितताओं के कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(च) क्या सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण के लिए महाराष्ट्र के पालघर जैसे देश के जनजातीय जिलों के लिए कोई विशेष पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत मार्च 2024 से गेहूं की खपत करने वाले राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वाले संघ राज्य क्षेत्र अर्थात चंडीगढ़ और पुडुचेरी के अलावा अन्य राज्यों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है।

...2/-

इस पहल के कार्यान्वयन से सरकार के विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत उठान किए गए/वितरित किए गए फोर्टिफाइड चावल की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): दिनांक 24.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त 741 फोर्टिफाइड चावल कर्नेल विनिर्माण इकाइयां हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) की उत्पादन क्षमता से संबंधित जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग): चावल फोर्टिफिकेशन पहल के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1323.38 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2679.47 करोड़ रुपये आबंटित किए और फिर इस पहल को 3796 करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय निहितार्थ के साथ विस्तार किया गया।

खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाज) के वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है; जारी की गई वस्तुवार खाद्यान्न सब्सिडी का रखरखाव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (फोर्टिफाइड चावल सहित) के वितरण के लिए जारी की गई कुल खाद्यान्न सब्सिडी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**राशि (करोड़ रुपये में)**
1	2022-23	272501.69
2	2023-24	211394.39
3	2024-25	199499.67

(घ) एवं (ङ): फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, फोर्टिफाइड चावल के प्रत्येक बैच को मात्रात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार किया जाता है। (एफआरके) के सम्मिश्रण अनुपात सहित सभी भौतिक मापदंडों की पूरी तरह से जांच की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा परीक्षण किए गए फोर्टिफाइड चावल के नमूनों की संख्या को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है:

वित्तीय वर्ष	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	अनुरूप पाए गए	गैर-अनुरूप पाए गए
2025-26	200	181	19
2024-25	263	253	10
2023-24	49	47	2

(च): भारत सरकार सभी खाद्य सुरक्षा-तंत्र कार्यक्रमों के माध्यम से गेहूं का उपभोग करने वाले राज्यों और 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वाले संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा जनजातीय जिलों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 01.04.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5996 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पहल के कार्यान्वयन से सरकार के विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत उठान किए गए/वितरित किए गए फोर्टिफाइड चावल की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल उठान किए गए/वितरित किए गए फोर्टिफाइड चावल (टन में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11616.01
2	आंध्र प्रदेश	5455891.71
3	अरुणाचल प्रदेश	178503.19
4	असम	4515367.33
5	बिहार	13519162.49
6	चंडीगढ़	6710.70
7	छत्तीसगढ़	4610226.52
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	71655.29
9	दिल्ली	642656.99
10	गोवा	90584.82
11	गुजरात	3657708.79
12	हरियाणा	113893.12
13	हिमाचल प्रदेश	293250.25
14	जम्मू और कश्मीर	932943.59
15	झारखंड	4799027.97
16	कर्नाटक	6903195.94
17	केरल	2141319.57
18	लद्दाख	14252.94
19	लक्षद्वीप	3866.27
20	मध्य प्रदेश	5352018.63
21	महाराष्ट्र	8306625.36
22	मणिपुर	343878.35
23	मेघालय	429202.29
24	मिजोरम	153943.25
25	नागालैंड	224768.28
26	ओडिशा	7063898.54
27	पुदुचेरी	5105.42
28	पंजाब	144574.82
29	राजस्थान	305835.56
30	सिक्किम	59573.53
31	तमिलनाडु	6407055.86
32	तेलंगाना	3531739.82
33	त्रिपुरा	529766.89
34	उत्तर प्रदेश	16364933.14
35	उत्तराखंड	4615919.02
36	पश्चिम बंगाल	8009927.30
	कुल	**109810599.54**
